क्या आप अपना शोध प्रबंध खुद वापिस ले सकते हैं

वैज्ञानिक शोध में एक रोचक प्रसंग उपस्थित हुआ है। रोमानिया के प्रधान मंत्री विक्टर पोन्टा ने गत दिसंबर अपनी पीएच.डी. उपाधि लौटाने का निर्णय लिया है। रोमानिया के वैज्ञानिकों ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है।

मामला कुछ इस तरह है। बुखारेस्ट विश्वविद्यालय द्वारा विक्टर पोन्टा को उनके द्वारा 2003 में प्रस्तुत शोध प्रबंध के आधार पर पीएच.डी. उपाधि दी गई थी। पोन्टा ने अपना शोध प्रबंध 'अंतर्राष्ट्रीय कानून' विषय पर लिखा था। आगे चलकर आरोप लगा था कि उनका यह शोध प्रबंध नकलपट्टी से तैयार किया गया था। मामला विश्वविद्यालय की नैतिकता समिति के समक्ष पहुंचा था। जांच के बाद पाया गया कि नकलपट्टी के आरोप सही हैं। तब 2012 में बुखारेस्ट विश्वविद्यालय ने फैसला कर लिया था कि पोन्टा की पीएच.डी. रद्द कर दी जाए। मगर इसी बीच एक सरकारी समिति ने पोन्टा को 'क्लीन चिट' दे दी थी।

फिर पोन्टा प्रधान मंत्री बन गए और नकलपट्टी के आरोप लगते रहे। प्रधान मंत्री बनने के बाद यह शोध प्रबंध एक राजनैतिक फांस बन गया था। इसे लेकर प्रधान मंत्री बने रहना मुश्किल था। लिहाज़ा गत वर्ष 16 दिसंबर को पोन्टा ने विश्वविद्यालय को सूचित किया वे अपना शोध प्रबंध वापिस लेना चाहते हैं।

दिक्कत यह है कि सामान्य समझ यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपना शोध प्रबंध वापिस लेना चाहे तो विश्वविद्यालय इसकी अनुमति व्यापक तहकीकात के बाद ही दे सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए रोमानिया सरकार ने 30 दिसंबर को एक आदेश पारित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से अपना शोध प्रबंध वापिस ले सकेगा और ऐसा करने के लिए उसे कोई कारण नहीं बताना होगा और न ही कोई जांच-पड़ताल की जाएगी।

रोमानिया के वैज्ञानिक इस आदेश से बहुत खफा हैं। लगभग 1300 वैज्ञानिकों व अन्य लोगों ने एक खुला खत लिखकर अपना आक्रोश ज़ाहिर किया है और कहा है कि इस आदेश का मकसद यह है कि पोन्टा को नकलपट्टी के आरोपों का सामना न करना पड़े। ***(स्रोत फीचर्स)***